



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612080/2656157 Fax 0291-2612080

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2021/1405

दिनांक:- 06/11/2021

-:कार्यवाही विवरण:-

विषय:- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 09/2021 वीं बैठक दिनांक 26.11.2021 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

एजेण्डा संख्या 1 :- (26.11.2021)

विषय :- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 08/2021 वीं बैठक दिनांक 27.09.2021 जोन पूर्व/पश्चिम के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 2 :- (26.11.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 347/1 रकबा 14.13.00 बीघा में से 07.11.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- श्री चुन्नीलाल पुत्र श्री भीयाराम, श्री मंछाराम पुत्र श्री पीराराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 18 मीटर है। अतः सड़क मध्य से 9 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि को प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।
2. आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व स्थिति के संबंध में जोन से रिपोर्ट ली जावे एवं तदनुसार सेफ्टी कोरिडोर छोड़ा जावे।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं टोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।

एजेण्डा संख्या 3 :- (26.11.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 563/5 रकबा 10.10.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- श्रीमती गीतादेवी पत्नी श्री गणेशराम

—2

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग पूर्व अनुमोदित योजना से प्राप्त हो रहा है। उक्त सड़क जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 18 मीटर है। आवेदित भूमि में से उक्त सड़क को जोनल डवलपमेंट प्लान में निरन्तर किया गया है जिसका अंकन मानचित्र में किया जावे।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।

एजेण्डा संख्या 4 :- (26.11.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 564/1 रकबा 02.00.00 बीघा में से 01.00.00 बीघा के आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- चन्दा पुत्री श्री रूपाराम, श्रीमती पतकी पत्नी श्री भीकाराम, श्री राजूराम पुत्र श्री भीकाराम एवं मुन्नी पुत्री भीकाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 18 मीटर है। अतः सड़क मध्य से 9 मीटर में आ रही भूमि प्रार्थी भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 5 :- (26.11.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम नान्दडा खुर्द के खसरा संख्या 191 रकबा 14.08.00 बीघा में से 10.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

—>

आवेदक :- श्री भोमाराम, श्री नेमाराम पुत्र श्री कुम्भाराम, श्री तेजाराम पुत्र श्री जोगाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई पूर्व कमिटमेंट अनुसार 100 फीट रखे जाने हेतु सड़क मध्य से 50 फीट में आ रही है। साथ ही आवेदित भूमि के दक्षिण में राजस्व मानचित्र अनुसार अन्य राजस्व रास्ता है जिसका मार्गाधिकार 60 फीट रखे जाने हेतु मध्य से 30 फीट भूमि में आ रही भूमि प्रार्थी भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. राजस्व मानचित्र एवं संलग्न गूगल मैप मौका स्थिति अनुसार मौके पर रास्ते में भिन्नता है। अतः जोन उपायुक्त द्वारा इस बाबत वस्तुस्थिति जाँच कर रिपोर्ट प्राप्त की जावे, तदोपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।

एजेण्डा संख्या 6 :- (26.11.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम नान्दडा कंला के खसरा संख्या 275/10, 277 रकबा 10.13.11 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री बंशीलाल विश्‍नोई, श्री महेश विश्‍नोई, श्री पुखराज विश्‍नोई पुत्र श्री जगराम व श्रीमी शिल्पा सिधंवी पत्नी श्री मुकेश सिधंवी

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि को मास्टर डवलपमेंट प्लान की 48 मीटर चौड़ी सड़क से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। अतः सड़क मध्य से 24 मीटर में आ रही भूमि प्रार्थी भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. आवेदित भूमि में से जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सड़क गुजर रही है। अतः उक्त सड़क का अंकन करते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।

— 2

5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।

एजेण्डा संख्या 7 :- (26.11.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 57 रकबा 08.16.00 बीघा में से 03.10.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- श्रीमती टेमूडी पत्नी श्री रामूराम, श्री लिछमणराम, श्री बाबुराम, श्री बिरमाराम पुत्रान् श्री गोपीराम, श्री कैलाशराम, श्री गुल्लाराम, श्री सेनाराम, श्री पीनाराम, श्री हंसराज पुत्रान् श्री रामूराम, श्रीमती शान्ति पत्नी श्री मुगलाराम एवं श्री उम्मेदराम, श्री मुकेश कुमार पुत्रान् श्री मंगलाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना खसरा संख्या 37, 37/2 से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।
2. आवेदित भूमि में से जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सड़क गुजर रही है। अतः उक्त सड़क का अंकन करते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।

एजेण्डा संख्या 8 :- (26.11.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 134, 134/2, 133/3 रकबा 09.08.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- श्री पाबुराम व श्री सेसाराम पुत्र श्री मंगलाराम, श्रीमती दरियाव कंवर पत्नी श्री अमरसिंह, श्री गणपतसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह, श्रीमती सुशीला कंवर पत्नी श्री भंवरसिंह व श्री भवानीसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

—

1. आवेदित भूमि को उपलब्ध मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर है। अतः सड़क मध्य से 15 मीटर में आ रही भूमि प्रार्थी भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. आवेदित भूमि में से जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सड़क गुजर रही है। अतः उक्त सड़क का अंकन करते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं टोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।

एजेण्डा संख्या 9 :- (26.11.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 31/4 रकबा 11.14.12 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- श्री जसाराम पुत्र श्री भीकाराम एवं श्री माधवराम पुत्र श्री सुरजाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना खसरा संख्या 31/5, 31/6, 31/7 से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।
2. आवेदित भूमि में से मास्टर डवलपमेंट प्लान की 30 मीटर सड़क गुजर रही है। जिसका अंकन मानचित्र में किया जावें।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं टोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।



एजेण्डा संख्या 10 :- (26.11.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 43/4 रकबा 12.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री ओमाराम पुत्र श्री हरचन्द्रराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना खसरा संख्या 45/2 से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।
2. ले-आउट प्लान अनुमोदन माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल रिट पीटीशन संख्या 13048/2020 रवि गहलोत बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।

एजेण्डा संख्या 11 :- (26.11.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम नान्दडा कल्ला के खसरा संख्या 249/2, 249/3, 249/4 रकबा 12.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री पिन्टू कुमार मेघवाल पुत्र श्री बाबूलाल मेघवाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श कर प्रकरण में आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जो कि मौके पर विद्यमान नहीं है। अतः उक्त की सुनिश्चितता उपरान्त प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 12 :- (26.11.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम बासनी बेन्दा के खसरा संख्या 54/1 रकबा 07.10.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- मैसर्स सिल्वर लाईन बिल्डहोम प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर श्री हर्षवर्धनसिंह पुत्र श्री करणसिंह

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

—

1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना खसरा संख्या 52/2, 52/2/1, 48, 49/2 54/2/3 से 60 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।
2. आवेदित भूमि में से जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सड़क प्राप्त हो रही है। जिसे योजना मानचित्र में दर्शाया जावें।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं टोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।

एजेण्डा संख्या 13 :- (26.11.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 852/1 रकबा 10.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- श्रीमती जोगीदेवी पुत्री श्री पाबूराम विश्नोई, श्रीमती लाडू कंवर पुत्री श्री करणीदान, सुश्री पूर्णिमा पुत्री जी.डी आडा एवं सुश्री सुमित्रा पुत्री श्री जे.आर. विश्नोई

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना खसरा संख्या 849/1 से 60 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।
2. आवेदित भूमि में से जोनल डवलपमेंट प्लान की 60 मीटर सड़क निकल रही है। जिसे योजना मानचित्र में दर्शाया जाकर संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें।
3. आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है उक्त विद्युत लाईन के नीचे जोनल डवलपमेंट प्लान के प्रावधान अनुसार सेफ्टी कोरिडोर एवं सड़क का अंकन किया जावें।
4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
8. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं टोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।



एजेण्डा संख्या 14 :- (26.11.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 387 / 1, 388 / 1 रकबा 05.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत ।

आवेदक :- श्री कानाराम, श्री मुरछाराम, श्री मोहनराम, श्री तेजाराम, श्री भागीरथ पुत्र श्री सूराराम, श्रीमती सुआ पत्नी श्री हेमाराम, श्री सुखाराम, श्री हीराराम, श्री जगदीश पुत्र श्री हेमाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर है। अतः सड़क मध्य से 15 मीटर में आ रही भूमि प्रार्थी भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।

एजेण्डा संख्या 15 :- (26.11.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 113 रकबा 31.14.00 बीघा में से 12.07.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत ।

आवेदक :- श्रीमती दाकुडी पत्नी श्री रणजीतराम, श्री मांगीलाल पुत्र स्व. श्री सुराराम जरिये खास मुखियार श्री चन्द्रपालसिंह पुत्र श्री श्यामसिंह

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 24 मीटर है। अतः सड़क मध्य से 12 मीटर में आ रही भूमि प्रार्थी भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।

एजेण्डा संख्या 16 :- (26.11.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 43/2, 43/2 मीन रकबा 10.18.00 बीघा के आवासीय योजना

प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।।

आवेदक :- श्रीमती रेखा पत्नी श्री सुरेश, श्रीमती पानीदेवी पत्नी श्री मदनलाल, श्रीमती कालीदेवी पत्नी श्री कालूराम व श्रीमती मैना पत्नी श्री दुर्गाराम

- निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-
1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना खसरा संख्या 43/2 से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।
 2. आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है उक्त विद्युत लाईन के नीचे जोनल डवलपमेंट प्लान के प्रावधान अनुसार सेफ्टी कोरिडोर एवं सडक का अंकन किया जावे।
 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
 4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधाननुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
 7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण जगह का प्रावधान किया जावे।

एजेण्डा संख्या 17 :- (26.11.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम प्रतापनगर पटवार हल्का बांवरला के खसरा संख्या 722/2 रकबा 01.11.00 बीघा के शैक्षणिक संस्थान प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- आर.एन. विकास एवं शिक्षण संस्थान, जोधपुर अध्यक्ष डॉ. आर. आर. चौधरी पुत्र श्री सुखदेवराम

- निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-
1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार पूर्व कमिटमेंट अनुसार 100 फीट उपलब्ध हो रहा है। अतः सडक मध्य से 50 फीट में आ रही भूमि प्रार्थी भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।
 2. आवेदित भूमि को 100 फीट का पहुँच मार्ग अकृषि भूमि खसरा संख्या 722/1 में से आवश्यक भूमि समर्पण उपरान्त उपलब्ध हो रहा है। अतः समायोजित भूमि उपरान्त शेष भूमि का नया पट्टा जारी होने के उपरान्त ही प्रकरण में ले-आउट प्लान जारी किया जावे।

— 2

3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार शैक्षणिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व आवेदित भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 18 :- (26.11.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 798/3 रकबा 03.15.00 बीघा में से 15 बिस्वा 03 बिस्वान्सी के पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।।

आवेदक :- श्री नरपतसिंह पुत्र श्री हरिसिंह

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श कर प्रकरण में आवेदित भूमि के आस-पास **RPCB** की गाइडलाइन के परिप्रेक्ष्य में 50 मीटर की परिधी में अनुमोदित आवासीय कॉलोनी, आबादी, हॉस्पिटल, विद्यालय की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 19 :- (26.11.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 42 रकबा 13.00.00 बीघा में से 01.14.07 बीघा के पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।।

आवेदक :- श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री अचलसिंह

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श कर प्रकरण में आवेदित भूमि के आस-पास **RPCB** की गाइडलाइन के परिप्रेक्ष्य में 50 मीटर की परिधी में अनुमोदित आवासीय कॉलोनी, आबादी, हॉस्पिटल, विद्यालय की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 20 :- (26.11.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम नान्दडा कल्ला के खसरा संख्या 311, 311/15 रकबा 04.10.00 बीघा में से 02.15.03 बीघा के पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।।

आवेदक :- श्री रमेश विश्णोई पुत्र श्री ओमाराम एवं श्री मेहराराम पुत्र श्री सांवतराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श कर प्रकरण में आवेदित भूमि के आस-पास **RPCB** की गाइडलाइन के परिप्रेक्ष्य में 50 मीटर की परिधी में अनुमोदित आवासीय कॉलोनी, आबादी, हॉस्पिटल, विद्यालय की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 21 :- (26.11.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 71/5, 71/5 मीन रकबा 09.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।।

आवेदक :- श्री विरेन्द्र कुचेरिया पुत्र स्व. श्री मोहनलाल कुचेरिया, सुश्री प्रियंका कुचेरिया पुत्री

21

श्री विरेन्द्र कुचेरिया

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 30 फीट का पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। आवेदित भूमि हेतु पहुँच मार्ग 40 फीट उपलब्ध होना संभव नहीं है। अतः राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22.11.2016 के अनुसार पहुँच मार्ग हेतु 30 फीट मार्गाधिकार की स्वीकृति दी जाती है।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं टोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।

एजेण्डा संख्या 22 :- (26.11.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 471 में रकबा 2.5 हेक्टेयर भूमि के व्यवसायिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श कर राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 471 में रकबा 24421.10 वर्गमीटर भूमि के व्यवसायिक/होटल प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड का ले-आउट अनुमोदन जोधपुर डांगियावास सडक का मार्गाधिकार 200 फीट रखते हुए तथा जोजरी नदी के उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी दर्शाते हुए अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।


एजेण्डा संख्या 23 :- (26.11.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 110/5 रकबा 01.00.00 बीघा के आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्रीमती उषा राजपुरोहित पत्नी डॉ अशोक राजपुरोहित

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना के खसरा संख्या 110 में से 30 फीट का पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। आवेदित भूमि हेतु पहुँच मार्ग 40 फीट उपलब्ध होना संभव नहीं है। अतः राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22.11.2016 के अनुसार पहुँच मार्ग हेतु 30 फीट मार्गाधिकार की स्वीकृति दी जाती है।
2. पूर्व अनुमोदित योजना के दक्षिण-पूर्व में दर्शित 30 फीट सडक को आवेदित भूमि में दर्शाते हुए निरन्तर किया जावें एवं उक्त सडक में आ रही भूमि को निशुल्क समर्पित करवाते हुए शेष भूमि का पट्टा विलेख की कार्यवाही की जावें।



3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 24 :- (26.11.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम बासनी सिलावटा के खसरा संख्या 20/2 रकबा 09.07.10 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री ढलाराम, श्री केवलराम पुत्रान् श्री लाभुराम, श्री अर्जुन, श्री रवि पुत्रान् श्री भंवरलाल व श्रीमती ढलकी पत्नी श्री भंवरलाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि को खसरा संख्या 20, 25/2 की पूर्व अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। जिसकी मौके पर सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावे।
2. आवेदित भूमि में से जोनल डवलपमेंट प्लान की प्रस्तावित 24 मीटर सडक गुजर रही है। अतः सडक को दर्शाते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं टोस कवरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।

एजेण्डा संख्या 25 :- (26.11.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 533, 533/13, 533/12, 533/6, 533/8 रकबा 11.00.00 बीघा के आवासीय (सी.एम.जे.वाई के प्रावधान 3सी के तहत) प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री लीलाराम पुत्र श्री प्रहलादराम, श्री शिवलाल पुत्र श्री प्रहलादराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श कर प्रकरण में जोनल डवलपमेंट प्लान की सडक का राजस्व रिकॉर्ड के परिप्रेक्ष्य में जाँच कर आगामी बैठक में रखा जाने का निर्णय लिया गया।



एजेण्डा संख्या 26 :- (26.11.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम गेंवा के खसरा संख्या 870 रकबा 02.05.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री किशनाराम उर्फ किशन सिंह पुत्र श्री गोविन्दराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श कर प्रकरण में उपायुक्त पश्चिम द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के समीप अनुमोदित योजना से संबंधित आपत्ति प्राप्त हुई है। अतः समिति द्वारा जोन उपायुक्त को उक्त आपत्ति का निस्तारण कर रिपोर्ट करने तक प्रकरण को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 27 :- (11.08.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 739/1 रकबा 14.14.13 बीघा में से 06.00.00 बीघा के रिसोर्ट एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री मोहनलाल गहलोत पुत्र श्री त्रिलोकचन्द्र उर्फ तिलोकराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श कर प्रकरण में आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक, राजस्व मानचित्र अनुसार गोलासनी नदी के परिप्रेक्ष्य में जोन उपायुक्त की टिप्पणी प्राप्त करे, आवेदित भूमि के पडोस में खसरों का सुपरईम्पोजिशन करवाकर नवीन मानचित्र मंगवाया जावें।

एजेण्डा संख्या 28 :- (11.08.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम गेंवा के खसरा संख्या 595 से 599 व 575 से 589 व 600 से 602 व 603 से 621 एकल भूखण्ड क्षेत्रफल 33 बीघा 03 बिस्वा आवासीय प्रयोजनार्थ उपविभाजन पश्चात् ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्रीमती मधुबाला चौहान पत्नी श्री सुरेश चौहान निदेशक जंरिये करणी डवलपर एण्ड कस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श कर प्रकरण में मास्टर प्लान प्रावधानों के अनुरूप संशोधित ले-आउट प्लान प्राप्त कर आगागी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 29 :- (26.11.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 25/1 रकबा 05.15.13 बीघा के होटल एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री राजेन्द्र गोयल पुत्र श्री माधोदास, श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री राजेन्द्र गोयल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि को मास्टर डवलपमेंट प्लान की 30 मीटर सडक से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदित भूमि पर 186' X 26' में 14 कमरे, 30' X 40' में किचन 30' X 40' स्विमिंग पूल, 40' X 60' टीन शैड 70' X 70' हॉल व रूम पक्का टीन शैड गार्डन आदि निर्मित है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक: प.18(25)नविधि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के कम में प्रकरण में बिना स्वीकृति निर्माण हेतु नियमानुसार राशि वसूल की

—

- जावें एवं अवैध निर्माण एक साल की अवधि में हटाये जाने बाबत् शपथ पत्र प्राप्त किया जावें।
3. नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 12.04.2018 के अनुसार होटल तथा मोटल प्रयोजनार्थ प्रस्तावित एकल पट्टों के प्रकरणों में सुविधा क्षेत्र हेतु समर्पित कि जाने वाली 5 प्रतिशत भूमि की एवज में उक्त क्षेत्र की आवासीय आरक्षित दर से राशि वसूल की जावें।
 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 30 :- (26.11.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 571 रकबा 11.15.00 बीघा में से 07.15.08 बीघा के हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- श्री हनुमान हैण्डिक्राफ्ट प्रा.लि जरिये डायरेक्टर श्री अजय सिंह चौधरी पुत्र श्री भगवानसिंह चौधरी

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित आवासीय योजना से 80 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। उक्त सड़क को आवेदित भूमि में निरन्तर किया जावें एवं सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. प्रार्थी द्वारा नॉनपॉल्यूटिंग हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है। अतः आस-पास आबादी की सुरक्षा हेतु प्रार्थी की भूमि में न्यूनतम 9 मीटर का सुरक्षा बफर सैटबैक के रूप में मार्क किया जावें।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 31 :- (26.11.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 211/2 रकबा 02.07.10 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- मैसर्स मारवाड फुड इण्डस्ट्री प्रा.लि जरिये निदेशक जरिये श्री रविन्द्र भंसाली पुत्र श्री मूलचन्द भंसाली

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

—

1. आवेदित भूमि के आस-पास पूर्व अनुमोदित ले-आउट प्लान में दर्शित 160 फीट सड़क को मार्क करते हुए सड़क मार्गाधिकार में आ रही आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 32 :- (26.11.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम तुलेसर चारणान् के खसरा संख्या 193 रकबा 2445.38 वर्गमीटर के पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री राधाकिशन पुत्र श्री देवाराज

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श कर प्रकरण में आवेदित भूमि के आस-पास **RPCB** की गाइडलाइन के परिप्रेक्ष्य में 50 मीटर की परिधी में अनुमोदित आवासीय कॉलोनी की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 33 :- (26.11.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा संख्या 42/2 रकबा 02.13.18 बीघा के होटल प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्रीमती अच्छन कंवर पत्नी श्री रघुवीर सिंह

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श कर प्रकरण में पूर्व में आवासीय योजना ले-आउट प्लान अनुमोदित है एवं प्रार्थी वर्तमान में होटल प्रयोजनार्थ संशोधित ले-आउट प्लान अनुमोदित करवाना चाहता है। इस प्रकार के प्रकरणों बाबत राज्य सरकार से पूर्व में मार्ग दर्शन चाहा गया था। अतः पुनः स्मरण-पत्र प्रेषित किया जावे एवं मार्ग दर्शन प्राप्त होने के उपरान्त आगामी बैठक में रखा जावे।

एजेण्डा संख्या 34 :- (26.11.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम बडा कोटेचा तह. तिंवरी के खसरा संख्या 230/1 रकबा 21.08.00 बीघा के फार्म हाउस प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री रमेशचन्द्र मीणा पुत्र श्री गुलाबचन्द्र मीणा, श्रीमती शान्ति मीणा पत्नी श्री रमेशचन्द्र मीणा

DL

- निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-
1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट रखते हुए सड़क मध्य से 30 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
 2. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण कर लिया गया है। अतः राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक :प.18(25)नवि/सामान्य/ 2014 दिनांक 03.07.2020 के क्रम में प्रकरण में बिना स्वीकृति निर्माण हेतु नियमानुसार राशि वसूल करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 35 :- (26.11.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम धवा प्रथम के खसरा संख्या 998/2, 1005/1 रकबा 12.00.00 बीघा के फार्म हाउस योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री बाबुलाल पुत्र श्री धन्नाराम

- निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-
1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क पर पूर्व में कोई कमिटमेंट आदि की जॉय जोन उपायुक्त द्वारा की जावें। कोई कमिटमेंट नहीं होने की स्थिति में आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट प्रस्तावित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। उक्तानुसार कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सड़क मार्गाधिकार 100 फीट रखते हुए सड़क मध्य से 50 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।
 2. आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है, जिसकी क्षमता बाबत टिप्पणी प्राप्त कर नियमानुसार सेफ्टी कॉरीडोर का अंकन ले-आउट प्लान किया जावें।
 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

—

5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 36 :- (26.11.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 706, 707 में रकबा 38.09.00 बीघा भूमि के वाणिज्यिक योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श कर भूमि का वाणिज्यिक योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 37 :- (26.11.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 72, 74, 82 में रकबा 31 हेक्टेयर भूमि के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार- कर भूमि का आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 38 :- (26.11.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 82 पार्ट में रकबा 50 हेक्टेयर वर्गमीटर भूमि के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श कर भूमि का आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 39 :- (26.11.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 28 में रकबा 30 हेक्टेयर भूमि के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श कर भूमि का आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 40 :- (11.08.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 546, 546/1 रकबा 11-11-00 बीघा व 04-00-00 बीघा कुल रकबा 15-11-00 बीघा के आवासीय गुप हाउसिंग एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- श्री हरिराम पुत्र श्री रावतराम, श्री मानदास पुत्र श्री बालूदास


निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि को जोनल डवलपमेंट प्लान की 30 मीटर सडक द्वारा पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। अतः सडक मध्य से 15 मीटर में आ रही भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।



2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हे० से अधिक क्षेत्रफल होने से 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


06/12/2021

उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण,

जोधपुर


क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2021/ 1406-1410.

दिनांक:-

06/12/2021

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।


06/12/2021

उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)


जोधपुर विकास प्राधिकरण,

जोधपुर

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 09/2021 वीं बैठक दिनांक 25.11.2021 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री कमर चौधरी, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री हरभान मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री राजेश वर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री लाडूराम विश्णोई, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्री अनिल पूनियॉ उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य |
| 6. श्री नीरज मिश्र उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य |
| 7. श्री गणपत लाल सुथार, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |


06/12/2021

उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/2021/

दिनांक:-

:: संशोधित आदेश ::

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 09/2021 वीं बैठक दिनांक 26.11.2021 में प्रस्तुत एजेण्डा संख्या 02 के आवेदक श्री चुन्नीलाल पुत्र श्री भीयाराम, श्री मंछाराम पुत्र श्री पीराराम राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 347/1 रकबा 14.13.00 बीघा में से 07.11.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ जोन पूर्व का ले-आउट प्लान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। उक्त बैठक के दिनांक 26.11.2021 को जारी बैठक कार्यवाही विवरण में टंकनीय त्रुटिवंश कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 01 में जोनल डवलपमेंट प्लान की सडक 30 मीटर के स्थान पर 18 मीटर सडक अंकित हो गया है।

अतः दिनांक 26.11.2021 को हुई बैठक के कार्यवाही विवरण में एजेण्डा संख्या 02 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 01 पर जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सडक के स्थान पर 30 मीटर सडक पढा व समझा जावें तथा इस संशोधित आदेश को बैठक कार्यवाही विवरण का अंगशुमार माना जावें।

उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण

जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/2021/ 1571-1575

दिनांक:-

09/12/2021

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पूर्व), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण

जोधपुर